अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

नवलकिशोर बनाम धनराज

मिसल नम्बर 12/18

किस्म मुकदमा 212 प्रा०प०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2018/00105	
06.06.2018	प्रार्थना पत्र प्रार्थी नवल किशोर की और से अभिभाषक श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे वकील श्री रामप्रसाद शर्मा को एकतरफा अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राथी ने निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्व एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 824 की 0.72 है0 ख0नं0 828 की 0.20 है0 ख0नं0 845 की रकबा 0.74 है0 ख0नं0 826 की रकबा 0.58 है0 कुल 4 किता की 2.24 है0 भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम ढाबा तहसील दीगोद सं0 2071–74 तथा अन्य दस्तवेजो के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में नजर आता है। अतः अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिपक्षीगण इस आशय की जारी की जाती है ग्राम ढाबा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 824 की 0.72 है0 ख0नं0 828 की 0.20 है0 ख0नं0 845 की रकबा 0.74 है0 ख0नं0 826 की रकबा 0.58 है0 कुल 4 किता की 2.24 है0 भूमि के रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यदि प्रतिपक्षीगण को कोई आपत्ति हो तो वह आगामी पेशी 06.08.2018 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अंमरिम अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रति0 आगामी पेशी तक के लिए जारी की जाति है। पत्रावली दिनांक 06.08.2018 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो किस... तामील में ...
15/11/18	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक गण ने आज [illegible] के कारण कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। अतः पूर्ववत पत्रावली दि0 20/12/18 को पेश हो। अभिभाषक गण पेशी स्वयं प्राप्त कर लें। [signature]	
20/12/18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप०। वादी वाद मूलवाद डिक्री करा लिया है। अब प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थना पत्र डिक्री में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे। [signature]	नवलकिशो... [signature] माखन सि... [signature]